भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3488
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर व्यय में चूक

3488. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई कंपनियों ने अपना अनिवार्य सी॰एस॰आर॰ व्यय नहीं किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कंपनी-वार चूक करने वाले मामलों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने सीएसआर संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा इसके अनुपालन में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): कारपोरेट सामाजिक दायित्व बोर्ड द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएआर कार्यकलापों के संबंध में योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम की अनुसूची-VII में वे कार्यकलाप सूचीबद्ध हैं जो कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल किए जा सकते हैं। संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एमसीए-21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर व्यय के ब्यौरे फाइल करें। जब भी सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध उनके रिकार्डों की विधिवत् जांच के पश्चात् और कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जाती है। अब तक, 366 मामलों में अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सीएसआर संबंधी सभी अपराध प्रशम्य हैं। अब तक, प्रशमन हेतु 121 आवेदन किए गए हैं और 37 मामलों में प्रशमन की कार्रवाई की गई है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी-2018) ने 07.08.2019 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध है। एचएलसी-2018 की सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

****